

कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद – महाराजगंज

पत्रांक

/न०प०नि०/ई.नि.सू./2018-19

दिनांक- 22-09-18

अल्पकालीन ई- निविदा सूचना

नगर पंचायत निचलौल के पंजीकरण ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि 14वां वित्त आयोग/अवस्थापना निधि/ पं० दीननदयाल उपाध्याय, /स्वच्छ भारत मिशन/राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्य कराने व रजिस्टर्ड फर्म/अधिकृत डीलर से सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु (टेक्निकल एंव फाईनेन्शियल) निविदा निम्नलिखित विवरण के अनुसार www.etender.up.nic.in आनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा को वेबसाईट www.etender.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ई- निविदाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत निचलौल, महाराजगंज से कार्यालय समय व दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

1	वेबसाईट पर ई- निविदा प्रकाशन की तिथि/ समय	25-09-18	(पूर्वाह्न 02.00 बजे)
2	ई-निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/ समय	25-09-18	(अपराह्न 5.00 बजे)
3	ई- निविदा अपलोड की प्रारम्भ की तिथि/ समय	25-09-18	(अपराह्न 5.00 बजे)
4	ई- निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/ समय	04-10-18	(अपराह्न 2.00 बजे)
5	ई- निविदा खोली जाने की तिथि/ समय	05-10-18	(अपराह्न 2.00 बजे)

(क) 14वां वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से – (समाग्री आपूर्ति हेतु)

क्र० सं०	समाग्री का नाम/ कार्य स्थल का नाम	मात्रा/ अनुमानित लागत	जमानत धनराशि 10%		निविदा मूल्य (निविदा मूल्य+स्टेशनरी चार्ज+जी.एस. टी.	आपूर्ति/ निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि
			ई निविदा प्रपत्र के साथ 2%	ई निविदा स्वीकृति के पश्चात 8%		
1	2	3	4		5	6
1	जे०सी०बी०	01 अद्द	निविदा में किये गये दर के अनुसार	स्वीकृत दर के अनुसार	300+500+144.00= 944.00	एक पक्ष के अन्दर
2	बायो मोबाइल शौचालय 10 सीटर	01 अद्द	तदैव	तदैव	1100+500+144.00 = 944.00	

नोट- विभिन्न कम्पनियों का दर अलग-अलग देना होगा।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन

1	वार्ड न०-01, में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	1936000.00	38720-	154880-	300+500+144= 944.00	दो माह
2	वार्ड न०-06, में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	1936000.00	38720-	154880-	300+500+ 144 = 944.00	दो माह

(ग) 14वां वित्त आयोग-

1	वार्ड न०-11, में कटरा चौराहा से जिगनहवा शौचालय तक नाला निर्माण कार्य।	6335000.00	126700-	506800-	(300+500+144 = 944)	दो माह
---	---	------------	---------	---------	---------------------	--------

2	सिसवा रोड डा0 अवधेश घर दूबे के घर से काली मन्दिर होते हुए सिनेमा रोड तक आर.सी.सी. रोड/इण्टरलाकिंग /नाली निर्माण कार्य।	3172000.00	63440-	253760-	(300+500+144= 944.00)	दो माह
(घ) 2% अचल सम्पति हस्तान्तरण विलेखों के प्राप्त धनराशि से						
1	वार्ड नं0-03, महाीय मु0 में श्री आनन्द के घर के पास स्थित सार्वजनिक भूमि का बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	2193000.00	43860-	175440-	(300+500+144= 944.00)	दो माह
2	मेन मार्केट तिराहा से टिकुलहिया जाने वाले मार्ग पर आर0सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	1785000.00	35700-	142800-	(300+500+144 =944.00)	दो माह
(च) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से प्राप्त धनराशि-						
1	वार्ड नं0-2 बरगदवा में स्थित पोखरा पर छट्ट घाट का निर्माण कार्य।	5081000.00	101620-	406480-	(300+500+144.00 =944.00)	दो माह
2	वार्ड नं0-06, घोडहवा में स्थित दामोदरी पोखरा पर छट्ट घाट का निर्माण कार्य।	5081000.00	101620-	406480-	(300+500+144= 944.00)	दो माह
3.	अभिमन्यू वर्मा के मकान से भागवत के मकान तक आर.सी.सी. रोड, इन्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	2500000.00	50000-	2,00,000-	(300+500+144= 944.00)	दो माह
4.	पराग नमक के दुकान से जगदीश हलुवाई की मकान तक इन्टरलाकिंग/ आर.सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2500000.00	50000-	2,00,000-	(300+500+144= 944.00)	दो माह
(छ) राज्य वित्त आयोग -						
1.	नगर पंचायत निचलील वार्ड नं0-06 में चिउटहा रोड से घोडहवा मार्ग पर पिच रोड का उच्चीकरण एवं पटरी का निर्माण कार्य।	5766000.00	115320-	461280-	(300+500+144= 944.00)	दो माह

सामाग्रीयो के आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें

6. ई-निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीयन व अधिकृत डीलर प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. ई-निविदा प्रपत्र में सामाग्रीयों के कम्पनी का नाम लिखना होगा।
8. स्वीकृत निविदादाता फर्म/आपूर्तिकर्ता एवं अपने व्यय से सामाग्रीयों की आपूर्ति करेंगे।
9. विलम्ब से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. अपूर्ण व ऋटिपूर्ण निविदा स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
6. किसी भी ई-निविदा को विना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
7. सामाग्रीयों का दर प्रति अर्द/ प्रति फिट आदि के दर से निविदा पत्र में अंकित करना होगा।
8. सामाग्री की गुणवत्ता के सत्यापन के पश्चात् ही सन्तोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा।
9. अलग से कोई कर देय नहीं होगा।
10. आपूर्तिकर्ता को वाहन से सम्बन्धित समस्त कागजात वाहन आपूर्ति के साथ देना अनिवार्य होगा।
11. डीलर/आपूर्तिकर्ता को चरित्र प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

निर्माण कार्य हेतु नियम व शर्तें

1. निर्माण कार्य हेतु जमानत धनराशि कुल आगणन धनराशि का 10% देना होगा। निविदा प्रपत्र साथ 2% व ई-निविदा स्वीकृति के पंचायत 8% एफ0 डी0आर0, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र या नगद जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा करना होगा।
2. पंजीकृत ठेकेदार/निविदादाता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन /मानक के अनुसार करना होगा।
4. निविदादाताओं को नियमानुसार स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध पत्र करना होगा। विना अनुबन्ध किये कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा।
5. अवर अभियन्ता नगर पंचायत निचलौल के देख रेख में निर्माण कार्य करना होगा।
6. विना कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
7. विना अनुमति के ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक कार्य नहीं कराना होगा, यदि अधिक कार्य करता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर पंचायत निचलौल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और न ही उसका भुगतान किया जायेगा।
8. कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने अथवा होने ठेकेदार के लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण कोई क्षति होता है तो कराये गये कार्य के समाप्ति के 05 वर्ष के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उसका रख-रखाव किया जायेगा। कार्य में प्रयुक्त

इण्टरलाकिंग ईटो एवं सामाग्री ईटो के नमूने का परीक्षण अवर अभियन्ता से कराकर ही उसका प्रयोग किया जायेगा।

9. ठेकेदार को स्वयं शपथ पत्र जो 100.00 रूपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जिस पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। (शपथ पत्र हेतु प्रारूप कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त किये जा सकते है जो 14 विन्दु पर है)
10. निविदा प्रपत्र के साथ नगर पंचायत निचलौल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. किसी भी नियमो/शर्तो में संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
12. उक्त कार्यों में यदि अधिक विल प्राप्त होता है तो उसका भुगतान राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।
13. ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य के प्रत्येक कार्य पर 1000.00 रू० का चालान द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय में कार्य का पंजीयन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
14. सशर्त निविदाए स्वीकर नही की जायेगी।
15. आगणन धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जी०एस०टी० एवं लेवर शेष की धनराशि नगर पंचायत द्वारा अतिरिक्त देय होगा।
16. मानक के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य न करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
17. स्वीकृत कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा बोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर कार्य का नाम प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि आदि उल्लेख किया जायेगा।
18. ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. चालान कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
19. ठेकेदार को कार्य से पूर्व व समाप्ति के उपरान्त का फोटो कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
20. फर्म/ठेकेदार जिनको पूर्व में कार्यादेश जारी किया गया है किन्तु उनके द्वारा अब तक कार्य पूर्ण नही किया गया है तो उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
21. किसी भी फर्म/ठेकेदार या उसके सहयोगी द्वारा विविदा कार्यमें व्यवधान, अभद्रता दुव्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित करायी जायेगी।

अधिशायी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज


अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज


पत्रांक 332(19)/न०प०नि०/2018-19/तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद-महाराजगंज
2. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय-महाराजगंज।
3. अधिशायी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग महाराजगंज।

4. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महाराजगंज व नौतनवा
5. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत आनन्दनगर, घुघुली, सिसवा बाजार, सोनौली, जनपद-महाराजगंज।
6. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महाराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेबसाइट [www. Maharajganaj nic.in](http://www.Maharajganaj.nic.in) पर डालने की कृपा करें।
7. अवर अभियन्ता (नामित) नगर पंचायत निचलौल, महाराजगंज।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज


अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज